दवि्यांगजनों के लयि सुगम्यता

सुरोत: द हदिू

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय** ने पुष्टि की कि **दवि्यांगजनों (PWD)** के लयि **पर्यावरण, सेवाओं और अवसरों तक पहुँच का अधिकार** एक **मानवीय और मौलिक अधिकार** है।

- **पहुँच:** न्यायालय ने सरकार से आग्रह किया कि वह **दवि्यांगजन** अधिकार नियम, 2017 के **नियम 15** के तहत सार्वभौमिक पहुँच वाले सार्वजनिक और निजी स्थानों, सेवाओं तथा उत्पादों का निर्माण सुनिश्चित करें।
  - **दवि्यांगजन** अधिकार नियम, 2017 के **नियम 15 में भौतिक वातावरण, परविहन तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी** की पहुँच को शामिल किया गया है।
- **कानूनी ढाँचा:** **दवि्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** का उद्देश्य दवि्यांगजनों (PwD) के अधिकारों की **रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है।**
  - **इसका उद्देश्य दवि्यांगजनों के अधिकारों पर** **संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD)** को प्रभावी बनाना है, जिसे भारत ने वर्ष **2007 में अनुमोदित किया था।**
  - बेंचमार्क दवि्यांगता वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें **निर्दिष्ट दवि्यांगता का कम-से-कम 40% हिस्सा हो।**
- **दवि्यांगजनों के सशक्तीकरण से संबंधित पहल:** **सहायक उपकरण खरीदने/लगाने के लयि दवि्यांगजनों को सहायता**, **सुगम्य भारत अभियान** और **विशिष्ट दवि्यांगता पहचान पोर्टल।**

और पढ़ें: दवि्यांगजनों के लयि सुगमयता बढ़ाना

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/accessibility-for-disabled-persons